न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 53/2018

अनवान :

1. छबीलाराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी भिरानी।
2. रिसालसिंह पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी भिरानी।
3. बलराज पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. इन्द्रपाल पुत्र प्रकाशचन्द्र जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र बाबत : रास्ता स्वीकृत करने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्त0 अधिनियम सपठित धारा 8(2) राज0कॉलो0 जरनल कण्डीशन एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा **: प्रार्थीगण**

वकील श्री पूनम चन्द वर्मा **: अप्रार्थीगण**

निर्णय **दिनांक :** 7.2.19

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 जे एस एल के खाता सं0 138/140 के मु0नं0 84 के किला नं0 2/1 की 0.126 है0, 9 ता 12, 20 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 85 के किला नं0 6–7, 14 ता 17 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 2.909 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

चक 8 जेएसएल के खाता सं0 149/124 के मु0नं0 54 के किला नं0 16, 17, 24, 25 मु0नं0 55 के किला नं0 19 ता 22, मु0नं0 84 के किला नं0 1 की 0.253 है0, 2/2 की 0.126 है0, मु0नं0 85 के किला नं0 4, 5 की कुल 2.909 है0 नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

चक 8 जेएसएल के मु0नं0 55 के किला नं0 16 ता 18 में उतरी की तरफ 8–1/4 फुट (सवा आठ फुट) पूर्व से पश्चिम राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है जो वर्तमान में चालू है जिससे होकर प्रार्थीगण अप्रार्थी की कृषि भूमि के मु0नं0 55 के किला नं0 19 व 22 के पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण तथा मु0नं0 84 के किला नं0 2 में पूर्व की तरफ 82.6 फुट लम्बाई व 8–1/4 फुट (सवा आठ फुट) में चलकर अपने खेत में प्रवेश करता है। प्रार्थीगण सदामत से इसी रास्ता से होकर अपने खेत में आते जाते है व अपने ऊंट, गाडे, ट्रैक्टर आदि यही से लाते ले जाते है। यह रास्ता प्रार्थीगण के लिए सुगम व एकमात्र सुविधाजनक रास्ता है।

मु0नं0 55 के किला नं0 16 ता 18 में उतर की तरफ 8–1/4 फुट (सवा आठ फुट) स्वीकृत रास्ता है जबकि अप्रार्थीगण की खातेदारी में मु0नं0 55 के किला नं0 19 व 22 तथा मु0नं0 84 के किला नं0 2 में 82.6 फुट तक पूर्व की तरफ उत्तर से दक्षिण प्रार्थीगण के खेत तक स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है जिसे प्रार्थीगण स्वीकृत करवाना चाहते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

है। यह रास्ता प्रार्थीगण के खेत का एकमात्र रास्ता है इसके अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि हमारी कृषि भूमि के मु0नं0 84 में प्रवेश के लिए चालू रास्ता है किन्तु वह स्वीकृतशुदा नहीं है। उक्त चालू रास्ता को स्वीकृत करवाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने आम रास्ता से अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के मुरबा नं0 55 के किला नं0 19 व 22 एवं मु0नं0 84 के किला नं0 2/2 के साढे 82 फुट तक पूर्व की तरफ उत्तर से दक्षिण प्रवेश के लिए चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि रास्ता बाबत प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधाजनक, सुगम व निकटतम दूरी का एक मात्र रास्ता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण साबित है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन जनरल कॉलोनी कण्डीशन एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा रोही मौजा चक 8 जेएसएल के मुरबा नं0 55 के किला नं0 19 व 22 एवं मु0नं0 84 के किला नं0 2/2 के साढे 82 फुट तक पूर्व की तरफ उतर से दक्षिण प्रवेश के लिए चालू सवा आठ फुट चौडाई के रास्ता को स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़